गौतम बुद्ध विश्वविद्यालय
गौतम बुद्ध नगर

जीबीयू–003 / वित्त / 2025 /

दिनांकः 06 / 05 / 2025

::कार्यालय आदेश::

सक्षम स्तर से प्राप्त अनुमोदन के क्रम में विश्वविद्यालय में अध्ययनरत छात्रों से विलम्ब शुल्क माफी के सम्बन्ध में दिनांक 28 अप्रैल 2025 को दोपहर 1:00 बजे अधिष्ठाता (शैक्षिक) की अध्यक्षता में विश्वविद्यालय के अधिष्ठाता (शैक्षिक) कार्यालय में बैठक सम्पन्न हुई। समिति का निर्णय निम्नानुसार हैः–

बिन्दु सं. 01 समिति के माननीय सदस्यों को अवगत कराया गया कि अकादमिक सत्र 2024–25 के सम–सेमेस्टर की शुल्क जमा करने की अंतिम तिथि पत्रांक संख्या जी.बी.यू.–002/एडमिन/7.7/2024–3155 दिनांक 20 दिसम्बर 2024 के अनुसार 15 जनवरी 2025 निर्धारित थी, जिसे पत्रांक संख्या जी.बी.यू.–003/वित्त/7.7/2025–3222(A) दिनांक 15 जनवरी 2025 द्वारा बढ़ाकर 25 जनवरी 2025 कर दिया गया था।

बिन्दु सं. 02 विश्वविद्यालय में अध्ययनरत छात्रों द्वारा विलम्ब शुल्क माफी हेतु प्रस्तुत पत्राचार एवं ज्ञापनों पर समिति के माननीय सदस्यों द्वारा विचार–विमर्श किया गया।

बिन्दु सं. 03 उत्तर प्रदेश राज्य के छात्रों को उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्राप्त होने वाली छात्रवृत्ति सीधे छात्रों के बैंक खाते मे आती है, अतः छात्रों को निर्धारित समय पर शुल्क जमा करना अनिवार्य होगा। अन्यथा, रू0 100/– प्रतिदिन (अधिकतम रू0 3000/–) विलंब शुल्क देय होगा।

बिन्दु सं. 04 बिहार राज्य के छात्रों की फीस **बिहार क्रेडिट कार्ड योजना** के माध्यम से सीधे विश्वविद्यालय के खाते में आती है। यदि बिहार क्रेडिट कार्ड योजना के अतिरिक्त कोई फीस शेष रहती है, तो छात्रों का समय पर शुल्क जमा करना अनिवार्य होगा। अन्यथा, रू0 100/– प्रतिदिन (अधिकतम रू0 3000/–) का विलंब शुल्क लागू रहेगा।

बिन्दु सं. 05 जिन छात्रों की फीस बैंक शिक्षा ऋण के माध्यम से जमा की जाती है, उनके लिए भी अकादमिक सत्र 2024–25 के सम–सेमेस्टर की फीस जमा करने की अंतिम तारीख 25 जनवरी 2025 तक थी। परंतु, परीक्षा परिणाम 08 फरवरी 2025 को घोषित किया गया और ऋण की अगली किस्त बैंक द्वारा बैंक में परीक्षा परिणाम जमा करने के पश्चात ही जारी की जाती है। अतः ऐसे छात्र 28 फरवरी 2025 तक बिना विलम्ब शुल्क के फीस जमा कराने की छूट प्रदान करने का निर्णय लिया गया। इसके बाद विलम्ब शुल्क रू0 100/– प्रतिदिन (अधिकतम रू0 3000/–) देय होगा। जिन छात्रों ने 28 फरवरी 2025 के पूर्व फीस विलम्ब शुल्क सहित फीस जमा की है उनके द्वारा भुगतान किए गये विलम्ब शुल्क को आगामी सेमेस्टर की फीस में समायोजित किया जायेगा।

बिन्दु सं. 06 छात्रों द्वारा प्रस्तुत सुझावों पर विचार करते हुए यह निर्णय लिया गया कि यदि किसी छात्र की पारिवारिक आपात स्थिति अथवा माता, पिता या सगे भाई/बहन की बिमारी जैसी आकस्मिक परिस्थितियों के कारण समय पर शुल्क जमा नहीं हो पाती है, तो ऐसे मामलों में विलम्ब शुल्क माफ करने का निर्णय सक्षम स्तर से लिया जायेगा।

(रमेश चन्द्र)
वित्त अधिकारी

प्रतिलिपिः

1. माननीय कुलपति महोदय के स्टाफ को महोदय के संज्ञानार्थ।
2. अधिष्ठाता, शैक्षिक को सूचनार्थ।
3. कुलसचिव को सूचनार्थ।
4. अधिष्ठाता, छात्र कल्याण को सूचनार्थ।
5. समिति के सदस्यों का सूचनार्थ।
6. विश्वविद्यालय के समस्त अधिष्ठाता/ प्रभारी अधिष्ठाता, विभागाध्यक्षों का सूचनार्थ।
7. सिस्टम मैनेजर को इस आसय से प्रेषित कि विश्वविद्यालय की वेवसाइट में अपलोड करे।

(वित्त अधिकारी)